कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमॉक...................../एम.सी./अराज/05/2023 भोपाल, दिनांक......../02/2023

// अनापत्ति प्रमाण –पत्र //

गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कार्यरत श्री हरीश चौहान, स्टेनोटायपिस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2023 के आधार पर एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक एफ–एफ–2/57/2018/55–1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 के नियम 10(अ) के बिन्दु कमांक 1 से 4 तक के नियमों के अन्तर्गत आपसी सहमती से परस्पर अदला–बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्तों पर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

क	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	संवर्ग	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	संवर्ग	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	श्री हरीश चौहान, स्टेनोटायपिस्ट	अ0पि0व0	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	श्री ऋषिकेश माझी, स्टेनोटायपिस्ट	अ0पि0व0	चि0महावि0 रतलाम

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा ।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनों आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. कमांक 6791-94/एम.सी./अराज–5/2023 भोपाल, दिनांक 15/02/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश।
2. प्रभारी अधिकारी, गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
3. श्री हरीश चौहान, स्टेनोटायपिस्ट द्वाराः– प्रभारी अधिकारी, गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
4. श्री ऋषिकेश माझी, स्टेनोटायपिस्ट द्वाराः– अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि दिनांक 21.02.2023 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के एडमिन ब्लांक के तृतीय तल पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होवें।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

संलग्न–दस्तावेज सूची।

15/02/2023

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

स्टेनोटायपिस्ट के दस्तावेज सत्यापन हेतु चाहे गये दस्तावेजों की सूची

क्रं.	दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का विवरण	प्रस्तुत दस्तावेज
1	कक्षा–10वीं अंकसूची।	हां/नहीं
2	कक्षा–12वीं अंकसूची।	हां/नहीं
3	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र	हां/नहीं
4	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर यथामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र।	हां/नहीं
5	सीपीसीटी हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाण–पत्र।	हां/नहीं
6	जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate)	हां/नहीं
7	अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)	हां/नहीं
8	प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति।	हां/नहीं
9	शपथ–पत्र (नवीन नियुक्ति प्रदान किये जाने पर भविष्य में वरिष्ठता हेतु मांग न करने के संबंध में।)	हां/नहीं
10	नियम 10 अ के तहत आपसी सहमति आवेदन पत्र की छायाप्रति।	हां/नहीं
11	आधार कार्ड।	हां/नहीं
12	पेन कार्ड।	

<u>अधिष्ठाता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र</u>

(1) ना घटना/ना जांच/ना मांग (NO DUES) लंबित नहीं है।

(2) कोई भी न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

(3) चरित्रावली/वर्क रिपोर्ट

(4) चरित्र संतोषजनक है।

(5) कार्य संतोषजनक है।

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

पता ....

मो.नं. ....